22.5.96	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है बिरहईत निर्णय पुस्तक में लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अदालत में कम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश मुनासिब किया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

<u>उनवान</u>

मंदिर गोविन्द देवजी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये प्रवंधकगण एवं ट्रस्टी–

1. मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र द्वारिका प्रसाद
2. प्रीतमचंद गुप्ता पुत्र सूकालाल गुप्ता
3. विनोद गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता

(1–3) सभी जाति महाजन निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

<u>बनाम</u>

1. बालकृष्ण दत्तक पुत्र फोटूराम जाति दारूगर (फौत)

   1/1. जगमोहन
   1/2. राधे
   1/3. गोविन्द
   1/4. रोहित

   (1/1–1/4) पुत्रान बालकृष्ण जाति दारूगर निवासी पुरानी सब्जी मण्डी पदमतला करौली तहसील व जिला करौली

2. मंगतू पुत्र छोटे
3. लोहरी बेवा छोटे

   (2–3) जाति साई निवासी होलीखिडकिया बाहर करौली तहसील करौली

4. तहसीलदार करौली

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत इस्तकरार हक व दखल हस्ब दफा 88 व 183 आर टी एक्ट</u>

मुकदमा नं. 15/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्याम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री श्याम सुन्दर शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 5477, 5478, 5479, 5480, 5481 कुल किता 5 कुल रकवा 6 बीघा 17 विस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रतिवादी नंबर 4 तहसीलदार, करौली को दिये जाते है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.5.25 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–15/23 तारीख रजु:–14.3.23

उनवान

मंदिर गोविन्द देवजी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये प्रवंधकगण एवं ट्रस्टी–

1. मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र द्वारिका प्रसाद
2. प्रीतमचंद गुप्ता पुत्र सूकालाल गुप्ता
3. विनोद गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता

] सभी जाति महाजन निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. बालकृष्ण दत्तक पुत्र फोटूराम जाति दारूगर **(फौत)**

1/1. जगमोहन
1/2. राधे
1/3. गोविन्द
1/4. रोहित

] पुत्रान बालकृष्ण जाति दारूगर निवासी पुरानी सब्जी मण्डी पदमतला करौली तहसील व जिला करौली

2. मंगतू पुत्र छोटे
3. लोहरी बेवा छोटे

] जाति साई निवासी होलीखिडकिया बाहर करौली तहसील करौली

4. तहसीलदार करौली

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक व दखल हस्ब दफा 88 व 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 22.5.26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ठाकुर जी गोविन्द देव महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली परपीच्यूअल माईनर स 1 और वादीगण मन्दिर में प्रबंधकगण है। आराजीयात खसरा नं0 5477 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा, आ.ख.न. 5478 रकवा 17 विस्वा व आराजी खसरा नं0 5479 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा, आराजी ख.न. 5480 रकवा 18 विस्वा आराजी खसरा नं0 5481 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 6 वीघा 17 विस्वा वाके कस्बा करौली वादी की माफी व खुद काश्त की काश्ता जमीन है। माफी जब्त सरकार होने पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उक्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण पिता वादी ठाकुर जी श्री गोविन्द देव जी ओर से साल दर साल भेज दे कर काश्त कर रहा था वक्त सेटिलमेंट का नाम इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी इस विवादित भूमि का खातेदार बताते हुये वादी की खातेदारी सें इंकार करने लग गया कागजात देखने से जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज मालूम हुआ इसलिए हकूक खातेदारी वादी घोषित कराने का अधिकारी है व राजस्व कागजात में इसी प्रकार के इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण नं0 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आराजी ख0न0 5481 को प्रतिवादी नं0 2 को बेच दिया हे और अब अन्य आराजीयात को बेचने जा रहा है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण आराजीयात मुतदाविया में वादीगण के द्वारा लगाये गये फलदार व गैर फलदार वृक्षों को काटने की धमकी दे रहे है जिससे हकूक वादीगण पर भारी आघात है। दिनांक 16.5.87 को हकूक खातेदारी वादी से इंकार करने पर वादीगण ने विवादित भूमि वापिस मांगी तो प्रतिवादीगण इंकार हो गया तभी से प्रतिवादीगण अत्याचारी है। और रेक ट्रेंस पासर की परिभाषा में आता है इसलिये वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 16.5.87 को अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुये, दावा अंदर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं **प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि** वादीगण को दायरी दावे चलने का भी हक नही है। आराजीयात मुतनाजा से वादीगण का कोई ताल्लुक नही है वादी न तो खातेदार है और ना ही आराजीयात पर काबिज है वादी को माफी में होना गलत है और स्वीकार नही है खुद काश्त की जमीन होना भी गलत है और स्वीकार नही है कब माफी जप्त हुई कब मुआवजा मिला यह भी वादी नही बता सका है दावा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

गोहमिल है। प्रतिवादी का पिता काश्त करता था यह फेक्ट भी किलयर दावे में नही है कि कौन से प्रतिवादी का पिता काश्त करता का मालूम हुआ दावे में दर्ज नही है। जमीन मुतनाजा पर पोटू राम पिता प्रतिवादी नंबर 1 संवत् 2002 से पूर्व से वहैसियत काश्ताकर टेंनेंट काबिज थे और लगातार अपनी जिंदगी तक वहैसियत काश्तकार काबिज रहे है और उसके मरने पर वहैसियत काश्ताकर काबिज हूं। कुल हकूक खातेदारी काश्तकारी मुझे बेस्ट करते है। वादी इस जमीन पर रिजम्पशन ऑफ जागिर एक्ट के वक्त व उससे पूर्व काबिज नही था और और न खुद काश्त में जमीन थी इसलिये वादी में कोई टीनेन्सी राईट हकूक एक्जोईट एगजिस्ट नही करते है, और प्रतिवादी को हकूक खातेदारी स्थित है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को 5481/– बेचान भी गलत है और स्वीकार नही है। खेत में कोई पेड फलदार नही हे। दिनांक 16.5.87 को कहानी बिल्कुल मनगढन्त है। प्रतिवादी ट्रेसपासर नही हे बल्कि खातेदार काश्तकार है। वादी को कोई विनायमुखासमत पैदा नही होती है। पोटू राम पिता प्रतिवादी नंबर 9 को ठाकुरजी वादी की ओर से प्रबंधकगण सेठ रामगोपाल, धौरया, छोटे त्रितोकी बजाब, कल्याण प्रसाद, दीवान नन्द किशोर, चौधरी भौरू लाल, गंगा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद की ओर से ने पोटू राम को बेदखल करके मूला को खेत मुतदाविया जिस पर 183 टीनेन्सी एक्ट में दावा दायर किया गया और 1.6.68 को दावा पोटू राम डिकी हुआ है और पोटू को कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार फैसला 1.6.68 व डिकी फाईनल है। जो वादी के खिलाफ है। अतः दावा हाजा दफा 11 सी.पी.सी. के आधार पर चलने योग्य नही है। वादी के खिलाफ उक्त फैसला इस्टोपेल की तारीफ मे भी आता है और वादी अपने एक्त में इस्टोप है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। **प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि** मंदिर की ओर से जो व्यक्ति दावा लेकर आये है उनकी प्रबंधकगण के अधिकार किस प्रकार निहित हो से है मंदिर की ओर से दावा लाया गया है जो चलने योग्य नही है और नाही मंदिर की ओर से इन व्यकितयों को प्रबंधकर्ता बनकर दायरी दावे का हक ही हासिल है। प्रबंधकगण भी अपने आपको वादीगुण बताते है व ठाकुर जी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

को भी वादी दर्ज किया है जबकि दावा ठाकुर की ओर से नही लाया गया है केवल मंदिर की ओर से लाया गया है। इस प्रकार वाद पत्र त्रुटि पूर्ण हैं व चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नं0 1 का पिता विवादग्रस्त आराजीयात का कानूनी रूप से सही खातेदारी अंकति हुआ है वादीगण किसी भी प्रकार की खातेदारी वाबत् घोषणा कराने का अधिकारी नही है। विवादग्रस्त खसरा नं0 5481 का पूर्व में पीटूराम पुत्र कुंदन जाति जांगिड ब्राहमण खातेदार काश्तकार व काबिज था, उससे प्रतिवादीगण नं0 2 नं इस खसरा नं0 को दिनांक 29.6.68 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रतिवादी नं0 2 का इस पर व हैसियत खातेदार काश्तकार होने से काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी नं0 2 ने खसरा नंबर 5481 में हजारों रूपये, लगाकर इसकी एक लेवल एवं काबिज काश्त बनाया है इसमें खरीद के वाद प्रतिवादी नं0 2 ने ही एक आम का पेड व अन्य पेड लगाये है उनको काटने का कोई प्रश्न ही नही है यह बिल्कुल तथ्य गलत दर्ज किये गये है। प्रतिवादी नं0 2 ख0न0 5481 पर वहैसियत खातेदार काश्त कार काबिज है। प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व कोई विनाय दावा उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण, प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व कोई दादरसी पाने के अधिकारी नही हैं। मंदिर को व मंदिर की ओर से प्रबंधकगण को कोई दावा हाजा लाने का हक हासिल नही है। वादी ठाकुरजी की ओर से दावा दायर माना जावे तो ठाकुर जी गोविन्द देव जी अचल संपत्ति मंदिर व दुकानात तीन लाख से भी ज्यादा कीमत की है जिसका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है बिना रजिस्ट्रेशन के दावा राज.पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वार्ड है एवं रजिस्ट्रेशन हो जाने की स्थिति में भी इन तथ्यों का वाद पत्र में खुलासा किया जाना आवश्यक है। जिसके बिना खुलासा दावा हाजा चलने योग्य नही है। रजिस्ट्रेशन होने की सूरत में ट्रस्टीज को ही ठाकुर की ओर से दावा दायरी का हक हासिल है। इस कारण भी प्रबंधकगण को दायरी दावा का हक नही है। प्रतिवादी नं0 2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.6.98 खसरा नं0 5481 पर व हैसियत रिकार्डेड खातेदार व जमाबंदी में तभी से खातेदार दर्ज चल आ रहा है और दावे में उक्त विक्रय पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बेअसर करार दिये जाने बाबत् कोई घोषणा भी नही चही गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व दावा घोषणा व बेदखली चलने योग्य नही है। दावा बिना इन्द्राज दुरूस्ती की दादरसी चाहे बिना चलने योग्य नही है। दावे में शामिल कर मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज व मिस जोईन्डर ऑफ कोजेज ऑफ ऐस्टोब्ड है इस कारण दावा त्रुटिपूर्ण है व प्रतिवादी नं0 2 के खिलाफ चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नं0 2 ने 15000/–रूप्ये लगाकर ख0न0 5481 की काबिज काश्त बनाया है इस कारण इस राशि की प्रतिवादी नं0 2 प्राप्त करने का अधिकारी है। दावे के मद नं0 11 के अनुसार अगर दावा प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व चलने योग्य न माना जावे व प्रतिवादी नं0 2 को दिनांक 29.6.68 तारीख विक्रय पत्र से खातेदार न मानने की सूरत में ऑफटर नोटिस भी प्रति. नं0 2 विवादित खसरा न0 5481 पर दि0 29.6.68 से खुले आम में ऐक्लूसिवली व होस्टाईली, बेरोक टोक मुखालफाना कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। इस कारण बेरून मियाद है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात मुताबिक वाद पत्र मद नंबर 2 वादी ठाकुरजी की माफी व खुद काश्त की भूमि है। ––वादी
2. आया वक्त सेंटलमेंट प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने नाम भूमि विवादित को सेंटलमेंट के कर्मचारियों से मिलकर करा लिया जिसको अधिकार नहीं थे। ––वादी
3. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नंबर 5481 को बेच दिया अन्य को भी बेचने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का मुस्त हक है। ––वादी
4. आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.5.83 को वादी की खातेदारी से हकदार है। इस प्रकार वादी खातेदारी घोषणा करने तथा प्रतिवादीगण को बेदखली कराने का वादी मुस्तहक है। ––वादी
5. आया आया वादी प्रबंधकगण के अधिकार मंदिर की ओर से निहित है स्पष्ट नहीं है। वादी दावा लाने का अधिकारी नहीं है। ––प्रतिवादी नंबर 2
6. आया ठाकुरजी गोविन्द देवजी मंदिर दुकानात 3 लाख से ज्यादा कीमती है जिनका ट्रस्ट एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। ––प्रतिवादी नंबर 2

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

6.आया प्रतिवादी पिता पोटू के हक में दिनांक 1.6.68 को वादपत्र डिक्री हो चुका है। जिसका कब्जा भी प्राप्त हो चुका है। अब वादपत्र दफा 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। ––प्रतिवादीगण

7. दादरसी :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह वादी पुरूषोत्तमलाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, सेंटलमेंट की नकल प्रदर्श–3, जमाबंदी वर्तमान प्रदर्श 4 व 5 पेश कर प्रदर्शित की है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी जगमोहन डीडब्ल्यू–1 व गवाह डीडब्ल्यू–2 रामस्वरूप शर्मा, गवाह डीडब्ल्यू–3 रामस्वरूप सुनार के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तोवजी सबूत में नकल मुकदमा नंबर 66/68 दावा प्रदर्श ए–1, निर्णय दिनांक 01.06.67 प्रदर्श ए–2, नकल जमाबंदी संवत 2039–42 प्रदर्श ए2/1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श संवत 2010–13 ए–4 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादी ठाकुर जी गोविन्द देव महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली परपीच्यूअल माईनर स 1 और वादीगण मन्दिर में प्रबंधकगण है। आराजीयात खसरा नं0 5477 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा, आ.ख.न. 5478 रकवा 17 विस्वा व आराजी खसरा नं0 5479 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा, आराजी ख.न. 5480 रकवा 18 विस्वा आराजी खसरा नं0 5481 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 6 वीघा 17 विस्वा वाके कस्बा करौली वादी की माफी व खुद काश्त की काश्ता जमीन है। माफी जब्त सरकार होने पर उक्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण पिता वादी ठाकुर जी श्री गोविन्द देव जी ओर से साल दर साल भेज दे कर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

काश्त कर रहा था वक्त सेटिलमेंट का नाम इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी इस विवादित भूमि का खातेदार बताते हुये वादी की खातेदारी सें इंकार करने लग गया कागजात देखने से जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज मालूम हुआ इसलिए हकूक खातेदारी वादी घोषित कराने का अधिकारी है व राजस्व कागजात में इसी प्रकार के इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण नं0 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आराजी ख0न0 5481 को प्रतिवादी नं0 2 को बेच दिया हे और अब अन्य आराजीयात को बेचने जा रहा है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण आराजीयात मुतदाविया में वादीगण के द्वारा लगाये गये फलदार व गैर फलदार वृक्षों को काटने की धमकी दे रहे है जिससे हकूक वादीगण पर भारी आघात है। दिनांक 16.5.87 को हकूक खातेदारी वादी से इंकार करने पर वादीगण ने विवादित भूमि वापिस मांगी तो प्रतिवादीगण इंकार हो गया तभी से प्रतिवादीगण अत्याचारी है। और रेक ट्रेंस पासर की परिभाषा में आता है इसलिये वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 16.5.87 को अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुये, दावा अंदर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादीगण को दायरी दावे चलने का भी हक नही है। आराजीयात मुतनाजा से वादीगण का कोई ताल्लुक नही है वादी न तो खातेदार है और ना ही आराजीयात पर काबिज है वादी को माफी में होना गलत है और स्वीकार नही है खुद काश्त की जमीन होना भी गलत है और स्वीकार नही है कब माफी जप्त हुई कब मुआवजा मिला यह भी वादी नही बता सका है दावा मोहमिल है। प्रतिवादी का पिता काश्त करता था यह फेक्ट भी किलयर दावे में नही है कि कौन से प्रतिवादी का पिता काश्त करता का मालूम हुआ दावे में दर्ज नही है। जमीन मुतनाजा पर पोटू राम पिता प्रतिवादी नंबर 1 संवत् 2002 से पूर्व से वहैसियत काश्ताकर टेंनेंट काबिज थे और लगातार अपनी जिंदगी तक वहैसियत काश्तकार काबिज रहे है और उसके मरने पर वहैसियत काश्ताकर काबिज हूं।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कुल हकूक खातेदारी काश्तकारी मुझे बेस्ट करते है। वादी इस जमीन पर रिजम्पशन ऑफ जागिर एक्ट के वक्त व उससे पूर्व काबिज नही था और और न खुद काश्त में जमीन थी इसलिये वादी में कोई टीनेन्सी राईट हकूक एक्जोईट एगजिस्ट नही करते है, और प्रतिवादी को हकूक खातेदारी स्थित है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को 5481/– बेचान भी गलत है और स्वीकार नही है। खेत में कोई पेड फलदार नही हे। दिनांक 16.5.87 को कहानी बिल्कुल मनगढन्त है। प्रतिवादी ट्रेसपासर नही हे बल्कि खातेदार काश्तकार है। वादी को कोई विनायमुखासमत पैदा नही होती है। पोटू राम पिता प्रतिवादी नंबर 9 को ठाकुरजी वादी की ओर से प्रबंधकगण सेठ रामगोपाल, धौरया, छोटे त्रितोकी बजाब, कल्याण प्रसाद, दीवान नन्द किशोर, चौधरी भौरू लाल, गंगा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद की ओर से ने पोटू राम को बेदखल करके मूला को खेत मुतदाविया जिस पर 183 टीनेन्सी एक्ट में दावा दायर किया गया और 1.6.68 को दावा पोटू राम डिक्री हुआ है और पोटू को कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार फैसला 1.6.68 व डिक्री फाईनल है। जो वादी के खिलाफ है। अतः दावा हाजा दफा 11 सी.पी.सी. के आधार पर चलने योग्य नही है। वादी के खिलाफ उक्त फैसला इस्टोपेल की तारीफ मे भी आता है और वादी अपने एक्त में इस्टोप है। मंदिर की ओर से जो व्यक्ति दावा लेकर आये है उनकी प्रबंधकगण के अधिकार किस प्रकार निहित हो से है मंदिर की ओर से दावा लाया गया है जो चलने योग्य नही है और नाही मंदिर की ओर से इन व्यकितयों को प्रबंधकर्ता बनकर दायरी दावे का हक ही हासिल है। प्रबंधकगण भी अपने आपको वादीगण बताते है व ठाकुर जी को भी वादी दर्ज किया है जबकि दावा ठाकुर की ओर से नही लाया गया है केवल मंदिर की ओर से लाया गया है। इस प्रकार वाद पत्र त्रुटि पूर्ण हैं व चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नं0 1 का पिता विवादग्रस्त आराजीयात का कानूनी रूप से सही खातेदारी अंकति हुआ है वादीगण किसी भी प्रकार की खातेदारी वाबत् घोषणा कराने का अधिकारी नही है। विवादग्रस्त खसरा नं0 5481 का पूर्व में पीटूराम पुत्र कुंदन जाति जांगिड ब्राहमण खातेदार काश्तकार व काबिज था, उससे प्रतिवादीगण नं0 2 नं इस खसरा नं0 को दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

29.6.68 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विकय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रतिवादी नं0 2 का इस पर व हैसियत खातेदार काश्तकार होने से काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी नं0 2 ने खसरा नंबर 5481 में हजारों रूपये, लगाकर इसकी एक लेवल एवं काबिज काश्त बनाया है इसमें खरीद के वाद प्रतिवादी नं0 2 ने ही एक आम का पेड व अन्य पेड लगाये है उनको काटने का कोई प्रश्न ही नही है यह बिल्कुल तथ्य गलत दर्ज किये गये है। प्रतिवादी नं0 2 ख0न0 5481 पर वहैसियत खातेदार काश्त कार काबिज है। प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व कोई विनाय दावा उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व कोई दादरसी पाने के अधिकारी नही हैं। मंदिर को व मंदिर की ओर से प्रंबंधकगण को कोई दावा हाजा लाने का हक हासिल नही है। वादी ठाकुरजी की ओर से दावा दायर माना जावे तो ठाकुर जी गोविन्द देव जी अचल संपत्ति मंदिर व दुकानात तीन लाख से भी ज्यादा कीमत की है जिसका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है बिना रजिस्ट्रेशन के दावा राज.पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वार्ड है एवं रजिस्ट्रेशन हो जाने की स्थिति में भी इन तथ्यों का वाद पत्र में खुलासा किया जाना आवश्यक है। जिसके बिना खुलासा दावा हाजा चलने योग्य नही है। रजिस्ट्रेशन होने की सूरत में ट्रस्टीज को ही ठाकुर की ओर से दावा दायरी का हक हासिल है। इस कारण भी प्रबंधकगण को दायरी दावा का हक नही है। प्रतिवादी नं0 2 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.6.98 खसरा नं0 5481 पर व हैसियत रिकार्डेड खातेदार व जमाबंदी में तभी से खातेदार दर्ज चल आ रहा है और दावे में उक्त विकय पत्र के बेअसर करार दिये जाने बाबत् कोई घोषणा भी नही चही गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व दावा घोषणा व बेदखली चलने योग्य नही है। दावा बिना इन्द्राज दुरूस्ती की दादरसी चाहे बिना चलने योग्य नही है। दावे में शामिल कर मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज व मिस जोईन्डर ऑफ कोजेज ऑफ ऐस्टोव्ड है इस कारण दावा त्रुटिपूर्ण है व प्रतिवादी नं0 2 के खिलाफ चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नं0 2 ने 15000/—रूप्ये लगाकर ख0न0 5481 की काबिज काश्त बनाया है इस कारण इस राशि की प्रतिवादी नं0 2 प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

अधिकारी है। दावे के मद नं0 11 के अनुसार अगर दावा प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व चलने योग्य न माना जावे व प्रतिवादी नं0 2 को दिनांक 29.6.68 तारीख विक्रय पत्र से खातेदार न मानने की सूरत में ऑफटर नोटिस भी प्रति. नं0 2 विवादित खसरा न0 5481 पर दि0 29.6.68 से खुले आम में ऐक्लूसिवली व होस्टाईली, बेरोक टोक मुखालफाना कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। इस कारण बेरून मियाद है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी में दर्ज है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा 2010–13 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। वादी पुरूषोत्तमलाल ने भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमी होना बताया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने भार भी वादी पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 एवं नकल सेंटलमेंट खतौनी प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है। जिससे भूमि वादी मंदिर की खातेदारी की होना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में संवत 2010–13 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। सेंटलमेंट विभाग को सेंटलमेंट से पूर्व दर्ज इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तित करने का विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 के हक में सेंटलमेंट में दर्ज हुए खातेदारी इन्द्राज को वादी ने अनाधिकार बताया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी की होना वादी ने साबित किया है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग की भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के हक में किया गया वयनामा बाबत खसरा नंबर 5481 हक हकूक वादी मंदिर पर बेअसर है। वादी मंदिर प्रतिवादीगण को भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने को पाबंद कराना चाहते है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने भूमि पर दिनांक 16.05.1987 से प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर ट्रेस पासर होना बताया है और वादी ने अपनी साक्ष्य में शाश्वत नाबालिग वादी मंदिर की भूमि में कोई हक हकूक प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के खण्डन में कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण के पितागण का खातेदारी होने का प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण का कब्जा भूमि पर बतौर अतिक्रमी है। वादी मंदिर प्रतिवादीगण से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 4 वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक संख्या के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है कि वादी मंदिर के प्रबंधकगण को मंदिर की ओर से दावा दायर करने का अधिकार नहीं हो बल्कि वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रबंधकगण को दावा लाने का अधिकार बताया है एवं वादी मंदिर की देखरेख व साख संभाल करना बताया है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक 6 किता 2 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यक संख्या के संबंध में भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे दावा वादी मंदिर ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक हो एवं निर्णय दिनांक 1.6.68 वादी मंदिर के संबंध में हो। बल्कि निर्णय दिनांक 1.6.68 पोटू व मूला के मध्य चला है। जिसमें वादी मंदिर पक्षकार नहीं रहा है एवं वादी मंदिर की ओर से वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से वादी की ओर से वादीगण को वाद लाने का हक है। अतः विवाद्यक संख्या 6 किता 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 7 दादरसी है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 व मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–2 से साबित होता है एवं प्रदर्श–3 सेंटलमेंट खतौनी संवत 2015 में प्रतिवादी नंबर 1 के साबिक खातेदारान व उनके पितागण के हक में हुए अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज विला आधार है। सेंटलमेंट विभाग को वक्त सेंटलमेंट सेंटलमेंट से पूर्व दर्ज इन्द्राज को बदलने का विधिक अधिकार नहीं है। बल्कि सेंटलमेंट से पूर्व दर्ज इन्द्राज को रिपिट करने का दायित्व है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी मंदिर वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा अपने हक में कराने का एवं भूमि पर प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस दखल कराकर प्राप्त करने का एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। दावा वादी डिक्री किये योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 5477, 5478, 5479, 5480, 5481 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रतिवादी नंबर 4 तहसीलदार, करौली को दिये जाते है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.26..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली